झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-4 (6)(क, ख, ग एवं घ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर 4(6) के रूप में उपधारा प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) [संशोधन] अधिनियम, 2011 कहलाएगा।
- (ii) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2) झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा 4(6) (क, ख, ग एवं घ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर 4(6) के रूप में निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाती है :–

"राज्य की सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु आरक्षित वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारो की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदों को तीन भर्त्ती वर्ष तक अग्रणीत किया जा सकेगा जबकि दो भर्त्ती वर्षों तक सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदों पर भर्त्ती (नियुक्ति/प्रोन्नति) के लिए राज्य सरकार द्वारा तीसरे भर्त्ती वर्ष में ही एक विशेष भर्त्ती प्रक्रिया अपनाकर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जायेगी। आरक्षित पदों पर विशेष भर्त्ती प्रक्रिया के तहत जिस आरक्षित वर्ग के लिए रिक्त पद कर्णांकित होंगे उन्हें उसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।"

यह विधेयक झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 58--50--30-03-2011 ।